

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्राप्त पत्र सं०-1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated:20 May 2020 के अनुपालन में निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं-

वर्तमान में जनपद इटावा आरेन्ज जोन में आता है। जो न्यायालय दिनांक-22-05-2020 से संचालित होने हैं, उनके पीठासीन अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न प्रकृति के कार्यों को संचालित करेंगे-

- (a) Admissions of new/pending matter (if any)
- (b) Pending/Fresh Bail.
- (c) Pending and Fresh Anticipatory Bail.
- (d) Matters involving release of vehicle, disposal of petty Offence cases.
- (e) Urgent Injunction matters pending/fresh.
- (f) Matter relating to receiving and disposal of Police report under section 173 Cr.pc.
- (g) Disposal of Applications of investigating officer such as matter involving NBW, process under Section 82/83 Cr.PC, Statements under section 164 Cr.PC.
- (h) The Remand/Other Judicial Work in respect of under trial Prisoner shall be done through video conference only. In case of any technical issues, other modes can be adopted.
- (i) Delivery of pending Orders/Judgement (if any), if the arguments are already complete.
- (j) Other Office related pending work.

सभी नये प्रकरण/प्रार्थनापत्र केन्द्रीय फाइलिंग काउण्टर पर प्रस्तुत किये जायेंगे, जिन्हें सी०आई०एस० पर दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सभी केसिस/प्रार्थनापत्रों पर अधिवक्ता/वादकारी का मोबाइल नम्बर सहित विवरण दिया जायेगा। यदि कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जायेगा। ई-कोर्ट एप का संचालन लगातार जारी रहेगा।

न्यायालय कक्ष में प्रवेश करते समय मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग व जारी निर्देशों का अनुसरण करेंगे।

आदेश की सूचना जिला बार संघों व मीडिया में प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित की जाय। सभी सम्बन्धित सूचित हो।

Handwritten Signature
21-5-2020
जनपद न्यायाधीश,
इटावा।